बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना।

पत्रांक–टी 3/योजना–29/2009 ...1402/ पटना, दिनांक–...9.7.15...

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत राज्य के औ0 प्र0 संस्थानों के पुराने मशीनों का आधुनिकीकरण एवं नए मशीनों के क्रय हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 400.00 लाख (रूपये चार करोड़) मात्र की राशि के व्यय में स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के औ0 प्र0 संस्थानों के पुराने मशीनों के आधुनिकीकरण एवं नए मशीनों के क्रय किए जाने हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत संबंधित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही व्यय की स्वीकृति विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा तथा इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा औ0 प्र0 संस्थानों के मॉग पत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा। यह स्वीकृति विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक 18–05–2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दी जा रही है।

2– स्वीकृत राशि का व्यय योजना व्यय शीर्ष –2230 श्रम और रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003– शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–0109 मॉग संख्या–26, मशीनों का आधुनिकीकरण, विपत्र कोड– पी0 2230030030109 के स्कीम कोड–5238 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 400.00 लाख (रूपये चार करोड़) मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस योजना हेतु योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध है।

4– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें।

5– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.4.98 के अनुरूप की जायेगी।

6– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की संचिका संख्या टी–3/योजना–29/2009 के पृष्ठ–108/टि0 पर स्वीकृति प्राप्त है।

8– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संबंधित संचिका के पृ0–110/टि0 पर है।

विश्वासभाजन
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–29/2009 ...1402/ पटना, दिनांक–...9.7.15...

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में)/वित्त विभाग (दो प्रति में)/सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/योजना एवं बजट शाखा, श्रम संसाधन विभाग/निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–29/2009 ...1402/ पटना, दिनांक–...9.7.15...

प्रतिलिपि– निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–29/2009–1402/ पटना, दिनांक–...9.7.15...

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।